मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /1/55/2018, भोपाल, दिनांक /01/2018

मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा राज्य शासन द्वारा स्थापित स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के लिए निम्नानुसार आदर्श सेवा नियम बनाता है:–

नियम

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ</u> –

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" है।

1.2 ये नियम ऐसे स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय पर लागू होंगे, जो इन्हें कार्यकारिणी समिति में संकल्प पारित कर लागू करें।

1.3 ये नियम स्वशासी समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा संकल्प पारित करने की तिथि से लागू होंगे।

2. <u>प्रयुक्ति</u> –

2.1 ये नियम सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर स्वशासी महाविद्यालय के लिए स्वीकृत शैक्षणिक पदों के संबंध में लागू होंगे।

2.2 स्वशासी महाविद्यालय इन नियमों को ऐसे शैक्षणिक पदों के लिए भी लागू कर सकेगी जिनके वेतन–भत्तों के भुगतान की व्यवस्था स्वयं के राजस्व से करने के लिए महाविद्यालय सक्षम है और जिनके संबंध में संभाग आयुक्त से लिखित अनुमति ले ली गई है।

3. <u>परिभाषाएं</u> –

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

Scanned by CamScanner

(क) 'महाविद्यालय' से अभिप्रेत है, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय, जिसकी कार्यकारिणी समिति ने इन नियमों को लागू किया हो।

(ख) 'अर्हता' से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

(ग) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा महाविद्यालय के लिए अनुमोदित अनुसूची।

(घ) 'चयन समिति' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत गठित चयन समिति।

(ङ) 'कार्यकारिणी समिति' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अधीन संबंधित चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए गठित स्वशासी समिति की कार्यकारिणी समिति।

(च) 'चिकित्सा शिक्षक' से अभिप्रेत है, अनुसूची–1 में विर्निदिष्ट किसी पद के विरूद्ध नियुक्त व्यक्ति।

(छ) 'अधिष्ठाता' से अभिप्रेत है महाविद्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

4. <u>वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि</u> –

4.1 राज्य शासन द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पद, जिनके लिए कार्यकारिणी समिति को सरकार से अनुदान प्राप्त होता हो, के लिए वेतनमान एवं वर्गीकरण ऐसे होंगे जो इन नियमों की संलग्न **अनुसूची–एक** में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4.2 ऐसे शैक्षणिक पद जिनके लिए सरकार द्वारा अनुदान की स्वीकृति नहीं हो, के पारिश्रमिक तथा वर्गीकरण ऐसे होंगे जो कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर नियत करें।

5. <u>आमेलन तथा चयन प्रक्रिया</u> –

5.1 कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व से नियुक्त चिकित्सा शिक्षक का, जो इन नियमों के आरम्भ होने के अव्यवहित पूर्व से ही धारित किया हुआ हो, इन

Scanned by CamScanner

नियमों में संलग्न अनुसूची–एक विनिर्दिष्ट पदों में से उपयुक्त पद पर एवं वेतनमान पर आमेलित किया जाएगा।

परन्तु ऐसे चिकित्सा शिक्षक, जिनकी नियुक्ति राज्य शासन ने म.प्र. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1987 के तहत की हो, की सेवा राज्य शासन के नियमों के तहत शासित होगी और उसे स्वशासी समिति में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया माना जाएगा।

5.2 <u>आमेलन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी</u> :–

(1) कार्यकारिणी समिति द्वारा इन नियमों के लागू होने से पूर्व में नियुक्त किया गया चिकित्सा शिक्षक जिस पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नति से पदस्थ किया गया हो का, यदि वह उस पद की अर्हता रखता हो तो, उसी पद पर आमेलन किया जाएगा।

(2) आमेलन के लिए महाविद्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। समिति का एक सदस्य संभागायुक्त द्वारा और एक सदस्य अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत होगा।

6. <u>रिक्त पदों पर नियुक्ति</u> –

रिक्त पद तथा भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्ति निम्नानुसार होगी :–

(1) रिक्त पदों में से सीधी भरती के पद और पदोन्नति के पद की गणना संलग्न अनुसूची–दो अनुसार की जाएगी।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति के आवश्यक न्यूनतम अर्हता के मापदण्ड में कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर आवश्यकतानुसार वृद्धि कर सकेगी, तथा अतिरिक्त अर्हता नियत कर सकेगी । पदवार अर्हता का विवरण संलग्न अनुसूची–तीन अनुसार है।

(3) चयन समिति संभागायुक्त की अध्यक्षता में होगी, जिसमें महाविद्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त न्यूनतम दो सेवारत अथवा

Scanned by CamScanner

सेवानिवृत्त ख्यातिप्राप्त प्राध्यापक सदस्य संभागायुक्त द्वारा समय–समय पर मनोनीत किए जाएंगे।

7. **सीधी भरती की प्रक्रिया** –

(1) सीधी भरती के पदों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति विज्ञप्ति जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी।

(2) सीधी भरती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दौनों नियत कर सकेगी।

(3) चयन समिति मेरिट के आधार पर एवं मेरिट क्रम में अभ्यार्थियों के चयन हेतु अनुशंसा देगी और तदनुसार वरीयता क्रम में नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अनुबंध पर की जाएगी।

परन्तु, उक्त बिन्दु 7 (3) के तहत चयनित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिए सीनियर रेजिडेन्ट डॉक्टर के पद पर कार्य किया हो तो उसे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।

(5) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सा शिक्षक के शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय कार्यो के आधार पर चयन समिति संबंधित व्यक्ति को नियुक्त करने अथवा अन्यथा की अनुशंसा करेगी और तद्नुसार आदेश जारी किया जाएगा।

(6) महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भरती के पद के लिए अर्हताधारी हो, सीधी भरती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेना होगी।

(7) महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरूद्ध चयन किया जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति का चिकित्सा शिक्षक

Scanned by CamScanner

के विनिर्दिष्ट पद पर वेतन उसके द्वारा महाविद्यालय में दी गई पूर्व सेवा अवधि को गणना में लेकर किया जाएगा।

8. <u>पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया</u> –

(1) पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर निम्न में से कोई भी एक या अधिक मापदण्ड अपनाने का निर्णय ले सकेगी:–

(अ) कार्यकारिणी समिति के स्वशासी महाविद्यालय में की गई सेवा अवधि का मूल्यांकन।

(ब) साक्षात्कार।

(स) लिखित परीक्षा।

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए प्राध्यापक को, प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए सह प्राध्यापक को, एवं सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक प्राध्यापक को विचारण क्षेत्र में रखा जाएगा।

(3) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र में उन सभी अभ्यर्थियों को रखा जाएगा जो उपरोक्त नियम 6 (2) के अनुसार पदोन्नति के पद की अर्हता रखते हों। विचारण क्षेत्र सूची महाविद्यालयों में की गई सेवा अवधि के घटते क्रम में बनाई जाएगी।

(4) चयन समिति उम्मीदवारों का चयन कर पदोन्नति हेतु अनुशंसा देगी और चयन सूची के वरीयताक्रम में रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे।

9. <u>आरक्षण</u> –

राज्य शासन द्वारा जिन पदों के लिए अनुदान दिया जाए उनकी नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

Scanned by CamScanner

प्रतिनियुक्ति सेवा –

मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1987 सेवा से प्रतिनियुक्ति पर महाविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य प्रतिनियुक्तियों के संबंध में नियुक्ति निम्नानुसार नियोजित होगी :–

(1) कार्यकारिणी समिति किसी भी रिक्त पद को एक बार में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति से भर सकेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति की कुल प्रतिनियुक्ति अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी।

(2) प्रत्येक प्रतिनियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

11. अनुबंध सेवा –

कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर यथाआवश्यक रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्हताधारी व्यक्ति की सेवाएं निम्नानुसार अनुबंध पर ले सकेगी :–

(1) अनुबंध सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी।

(2) किसी व्यक्ति को उसकी आयु 70 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त अनुबंध सेवा पर जारी नहीं रखा जा सकेगा।

(3) कार्यकारिणी समिति अनुबंध सेवा के लिए यथोचित एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक या कार्य आधारित पारिश्रमिक या दोनों नियत कर सकेगी। ऐसे पारिश्रमिक में अनुबंधदाता की आय के अन्य स्त्रोतों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

परन्तु, संबंधित पद के लिए शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान के तहत गठित पारिश्रमिक से अधिक आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा की अनुमति किए बगैर नहीं दिया जा सकेगा।

परन्तु, ऐसे सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक जिन्होंने अधिवार्षिकी आयु सीमा के 05 वर्ष के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त की हो, को देय पारिश्रमिक ऐसी राशि से अधिक नहीं हो सकेगा जो यदि वह अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक सेवारत होने की दशा में उसे देय होती।

Scanned by CamScanner

2. सेवा की शर्ते –

(1) **अवकाश** :– इन नियमों के तहत आमेलन पर भरती या पदोन्नति अथवा सीधी भरती से नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति नीचे उल्लेखित छुट्टी उपभोग करने के लिए पात्र होगा :–

(i) **आकस्मिक अवकाश** – केलेण्डर वर्ष के दौरान 19 दिन का आकस्मिक अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में।

(ii) **अर्जित अवकाश/विश्रामावकाश** – केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश। उस केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में। अर्जित अवकाश की गणना के प्रयोजन हेतु विश्रामावकाश की अवधि 45 दिवस निर्धारित की जाती है । ड्यूटी पर रहने विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में अर्जित अवकाश की पात्रता 30 दिवस की अधिकतम सीमा के अधीन उतने दिन की ही हो जितने दिन ड्यूटी पर रहने से विश्रामावकाश का लाभ नहीं लिया जा सका। यदि अन्य कारणों से अतिरिक्त विश्रामावकाश की सुविधा देय है तो वह अर्जित अवकाश की पात्रता के प्रयोजन हेतु गणना में नही ली जायेगी । किसी चिकित्सा शिक्षक में अवकाश खाते में अधिकतम 240 दिवस का अर्जित अवकाश जमा रह सकेगा। 240 दिवस से अधिक का अवकाश स्वतः ही व्यपगत हो जाएगा।

(iii) **चिकित्सा अवकाश** – केलेण्डर वर्ष में 20 दिवस अर्द्धवेतनिक चिकित्सा अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में।

(iv) **प्रसूति अवकाश** – महिला शिक्षक के दो से कम जीवित बच्चे होने की दशा में 180 दिवस के प्रसूति की अवकाश की पात्रता होगी।

(v) **पितृत्व अवकाश** – पुरूष शिक्षक को दो से कम जीवित बच्चे होने पर एक समय में 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।

(vi) **अध्ययन अवकाश** – सम्पूर्ण सेवाकाल में 24 माह (एक समय में 11 माह) के अध्ययन अवकाश की पात्रता पूर्ण वेतन तथा महंगाई भत्ता

Scanned by CamScanner

(अन्य भत्ते नहीं) की पात्रता होगी। पात्रता के लिए चिकित्सा शिक्षक की 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने तथा अवकाश के उपरान्त 03 वर्ष से अधिक का समय सेवानिवृत्त हेतु शेष होना आवश्यक होगा।

(2) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रदद् करने का निर्णय ले सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा।

13. <u>आचरण</u> –

चिकित्सा शिक्षक के संबंध में आचरण नियम निम्नानुसार होंगे :–

(1) **व्यावसायिक आचरण –** मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया तथा मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा समय–समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदण्डों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना।

(2) **प्रशासनिक आचरण –** चिकित्सा शिक्षक के पद से अपेक्षित कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना।

14. <u>अनुशासन तथा नियंत्रण</u> –

चिकित्सा शिक्षक के विरूद्ध निम्नलिखित दशाओं में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी :–

(1) चिकित्सा शिक्षक को सेवा में स्वतः ही पृथक माना जाएगा यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा उसका पंजीयन पंजी से स्थाई रूप से नाम हटाया गया हो।

Scanned by CamScanner

(2) चिकित्सा शिक्षक को दस दिन का कारण बताओं सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दंडित किया जा सकेगा :–

(i) वित्तीय अनियमितता करने, गबन करने या महाविद्यालय या सरकार को वित्तीय हानि कारित करने पर ;

(ii) कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में;

(iii) अमर्यादित व्यावसायिक या प्रशासनिक आचरण करने की दशा में ;

(iv) गंभीर अनुशासनहीनता के आचरण की दशा में ;

(v) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् या भारतीय दंत परिषद् या मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद् द्वारा कदाचरण की स्थिति में पंजीयन पंजी से अस्थाई रूप से नाम हटाया जाना अथवा निलंबन किया जाना ;

(3) निम्नलिखित दण्डों में से लिखित आख्यापक आदेश पारित करके उचित दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा :–

(i) सेवा समाप्त करना ;

(ii) वेतनवृद्धि रोकना ;

(iii) हानि की राशि की वसूली करना ;

(iv) उक्त नियम 2(v) की अवधि को अवैतनिक घोषित करना तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिन (dies-non) अथवा अवैतनिक घोषित करना।

परन्तु, सेवा समाप्ति के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा संकल्प पारित करना आवश्यक होगा।

Scanned by CamScanner

अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी निम्नानुसार होगा :–

पदनाम	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
ट्यूटर / प्रदर्शक / सहायक प्राध्यापक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	कार्यकारिणी समिति
सह प्राध्यापक		
प्राध्यापक	कार्यकारिणी समिति	साधारण सभा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी		

(5) अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाएगा :–

(i) सुनवाई के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे ;

(ii) संबंधित चिकित्सा शिक्षक को उसके विरूद्ध प्रमाण का अवलोकन कराया जाएगा ;

(iii) उपरोक्त नियम 14.2 के अधीन सूचना जारी करने के दिनांक से दो मास के भीतर समस्त कार्रवाई पूरी की जाएगी।

15. अधिवार्षिकी आयु –

अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष होगी।

16. पेंशन –

राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देय होगा जो स्वशासी समिति संकल्प पारित कर लागू करे।

17. निर्वचन –

इन नियमों के अधीन निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है उसे आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को निर्दिष्ट किया जाएगा, उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

Scanned by CamScanner

निरसन और व्यावृत्ति –

इन नियमों के तत्स्थानी तथा उनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

परन्तु, इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

Scanned by CamScanner